AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना सैंया जनपद आगरा।   दिनांक 12.06.2022

थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए हुए 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार कब्जे से लूट की 01 मोटरसाइकिल व 01 तमन्चा मय 03 जिन्दा कारतूस बरामद..

दिनांक 07/04/2022 को वादी राहुल द्वारा थाना सैंया पर तहरीर दी गयी कि मैं तेहरा दूध के प्लान्ट पर मजदूरी का कार्य करता हूं। आज शाम को घर से तेहरा आ रहा था। सैंया लादूखेडा रोड पेड़ के पास खड़े तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरी मोटर साइकिल व आइटैन मोबाइल को झपट्टा मारकर लूट कर भाग गये। इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु0अ0स0 82/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त लूट की घटना के सफल अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी सैंया को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनाँक 11.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा सैंया क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना क्षेत्र में दि0 07.04.22 को लादूखेडा रोड पर मोटरसाईकिल व मोबाइल की लूट से सम्बन्धित अभियुक्तगण आगरा की तरफ से कटीपुल की ओर आने वाले हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान के पास चैकिंग करने लगी। चैकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये। पुलिस टीम को चैकिंग करता देख मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पीछा कर दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल व 01 अवैध तमन्चा मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम चरत व मुकेश बताया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा बताया कि दिनांक 07/04/2022 को हमने मोटरसाईकिल व एक अदद मोबाइल फोन आईटेन को लूटा और भाग गये थे। मोबाईल को हमने रात के अंधेरे में स्विच ऑफ कर कहीं फेंक दिया था, जिससे वादी का मोबाइल बरामद नहीं हो सका।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. चरत पुत्र कन्हई निवासी नयापुरा थाना बाडी सदर जिला धौलपुर राजस्थान
02. मुकेश पुत्र बनेसिंह निवासी जम्हूरा थाना बाडी सदर जिला धौलपुर राजस्थान

बरामदगी का विवरण

01. एक अदद तमंचा मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
02. 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स।

आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त चरत

01. मु0अ0सं0 10/2021 धारा 392/411/120बी भादवि थाना इरादतनगर आगरा ।
02. मु0अ0स0 14/2021 धारा 147/148/149/307/504/34 भादवि थाना इरादतनगर आगरा
03. मु0अ0स0 15/2021 धारा 420/468/471/413/414 भादवि थाना इरादनगर आगरा ।
04. मु0अ0स0 19/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्टथाना इरादतनगर आगरा
05. मु0अ0स0 117/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इरादतनगर आगरा
06. मु0अ0स0 82/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सैंया आगरा

अभियुक्त मुकेश

01. मु0अ0स0 82/2022 धारा 392 भादवि थाना सैंया जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण

01. थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्र पाल सिंह थाना सैंया जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 श्री रामचन्द्र अरुण थाना सैंया जनपद आगरा।
03. उ0नि0 दुलीचन्द यादव चौकी प्रभारी लादूखेडा थाना सैंया आगरा
04. है0का0 संजीव कुमार थाना सैंया जनपद आगरा।
05. का0 सुशील कुमार थाना सैंया जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।